न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर संभाग

1– अरूणा कुमारी तनय दिग्पाल सिंह ,

2– दिग्विजय सिंह तनय रबिन्द्र सिंह ,

3– यशवर्धन सिंह तनय रबिन्द्र सिंह ,

निबासी ग्राम दरगांय खुर्द, तह0 मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..............आवेदकगण

वनाम

1– राजेन्द्र सिंह तनय भानसिंह ठाकुर ,

निवासी– भान भवन, नूतन कॉलोनी, टीकमगढ,

तहसील एवं जिला टीकमगढ़,

3– म0प्र शासन द्वारा रा0नि0 मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़

.............अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निवेदन हैः–

1– यह कि आवेदकगण, यह निगरानी श्रीमान राजस्व निरीक्षक मंडल मोहनगढ़, तह0 मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 15/अ–12/2015–16 में स्वीकृत आलोच्य सीमांकन दिनांक 21/04/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है, तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दरगांय खुर्द, तहसील मोहनगढ, जिला टीकमगढ़ में खसरा नंबर 54/1 ,

COURT FEE

—2—

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 3292

अरूणा कुमारी आदि विरूद्ध राजेन्द्र सिंह व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र रायकवार अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल मोहनगढ़, तहसील मोहनगढ़, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 15 / अ—12 / 2015—16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21—04—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 7/3/19	